राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः ई–20/म.स्वा.का./(सी–263)/2011/680 दिनांकः 1-06-2011

– आदेश –

निदेशालय के पत्रांक ई–20/म.स्वा.का./(सी–263)/2010/313 दिनांक 23.2.2010 के द्वारा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (नियमित) के पदों पर नियुक्ति हेतु संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों के कार्यालयों में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु विज्ञप्ति जारी की गई थी।

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति के संबंध में जारी विज्ञप्ति के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर में दायर निम्नांकित रिट याचिकाओं में अंतरिम स्थगन आदेश पारित किये जाने के पश्चात् संशोधित आदेश (अंतरिम) पारित किये जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर (राजस्थान)

क्र. सं.	केस का नाम	स्थगन आदेश दिनांक	संशोधित स्थगन आदेश दिनांक
1.	एस. बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या **3140/2010** आरती बनाम राजस्थान सरकार	04.03.2010	20.10.2010
2.	एस. बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या **4173/2010** सुमन कुमारी/सुशिला कुमारी बनाम राजस्थान सरकार	29.03.2010	28.01.2011
3.	एस. बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या **4484/2010** सुमनलता व अन्य 3 बनाम राजस्थान सरकार	02.04.2010	28.01.2011
4.	एस. बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या **4471/2010** सविता बनाम राजस्थान सरकार	02.04.2010	28.01.2011

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर (राजस्थान)

क्र. सं.	केस का नाम	स्थगन आदेश दिनांक	संशोधित स्थगन आदेश दिनांक
1.	एस. बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या **3071/2010** बीना बाजपेयी व अन्य 11 बनाम राजस्थान सरकार	07.04.2010	22.12.2010
2.	एस. बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या **3082/2010** कमला कुमारी व अन्य 12 बनाम राजस्थान सरकार	07.04.2010	22.12.2010
3.	एस. बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या **3080/2010** संजू चौधरी व अन्य 3 बनाम राजस्थान सरकार	07.04.2010	21.12.2010

माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 3140/2010 आरती बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 04.03.2010 को जारी अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 20.10.2010 को निम्नानुसार संशोधित किया गया :–

"In the meanwhile, the respondents are at liberty to make selections and appointments to the post of Female Health Worker in pursuance to the advertisement dated 23.02.2010 on State level basis. However, the aforesaid selection process and the appointments made on the posts of Female Heatlh Worker shall remain subject to the decision of this writ petition."

माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 4173/2010, 4484/2010 एवं 4471/2010 में पूर्व में जारी स्थगन आदेश भी एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 3140/2010 आरती बनाम राजस्थान सरकार के अनुसार संशोधित किये गयें।

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 3071/2010, 3082/2010 एवं 3080/2010 में दिनांक 22.12.2010 एवं 21.12.2010 को निम्नानुसार पूर्व में जारी अंतरिम स्थगन आदेश को संशोधित किया :–

"The respondents are at liberty to initiate and complete the process of selection initiated under the advertisement dated 23.02.2010, however, any appointments made as a consequent to the process of selection aforesaid shall be subject to final decision of this petition."

उक्त अंतरिम आदेशों की पालना में राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 (समय–समय पर संशोधित) के अन्तर्गत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के पद पर सीधी भर्ती हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों को निदेशालय राज्य स्तर पर छटनी/जांच के उपरान्त चयन समिति की अनुशंषा के आधार पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के पदों पर नियुक्ति हेतु संलग्न सूची पृष्ठ संख्या 01 से 83 तक अभ्यर्थियों की अस्थायी मेरिट/राज्य स्तरीय चयन सूची श्रेणीवार जारी की जाती है। यह अस्थायी चयन सूची माननीय उच्च न्यायालयों में विचाराधीन उपरोक्त रिट याचिकाओं में पारित किये जाने वाले अंतिम निर्णय के अध्याधीन है।

जिन अभ्यर्थियों का अस्थायी चयन हुआ है, उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रविष्ठियों में यदि कोई अशुद्धि/आपत्ति हो, तो इस संबंध में अभ्यर्थी अपनी परिवेदना दिनांक 15.06.2011 तक कमरा नम्बर 119, निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर में भिजवायें। निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त परिवेदना पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

उपरोक्तानुसार जारी अस्थायी राज्य स्तरीय मेरिट/चयन सूची के अतिरिक्त संलग्न सूची पृष्ठ संख्या 84 से 101 के अभ्यर्थियों को निर्देश दिये जाते है कि संलग्न सूची में निर्धारित दिनांक को राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, बी–39, सरदार पटेल मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर में काउंसलिंग हेतु उपस्थित हो ताकि उनके चयन के संबंध में निर्णय लिया जा सकें। काउंसलिंग में उपस्थिति के समय अभ्यर्थी जन्मतिथि, सैकेण्डरी की अंकतालिका, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण उत्तीर्ण की अंकतालिका, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर में पंजीयन का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम का तथा टीएसपी, सहरिया, विधवा, विकलांग आदि मूल प्रमाण पत्रों सहित उपस्थित होगें।

उपरोक्तानुसार जारी अस्थायी राज्य स्तरीय मेरिट/चयन सूची एवं काउंसलिंग हेतु जारी सूची के संबंध में किसी अभ्यर्थी को यदि कोई आपत्ति हो तो परिवेदना दिनांक 15.06.2011 तक कमरा नम्बर 119, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर में प्रस्तुत करें। उसके बाद प्राप्त परिवेदनाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।

नोटः– काउंसलिंग हेतु पृष्ठ संख्या 84 से 101 तक के अभ्यर्थियों को ही उपस्थित होना है। अन्य को उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

ह0
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः ई–20/म.स्वा.का./(सी–263)/2011/680 दिनांकः 1-06-2011

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर।
4. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि इस अस्थायी चयन सूची के समाचार को राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का श्रम करें।
6. प्रभारी अधिकारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त अस्थायी चयन सूची को विभागीय वेब साईट पर डाउनलोड करें।
7. आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर